न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या– 594 सन्– 2026

UPAD010055042026

कमलेश कुमार पुत्र राधेश्याम उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी– घरौता, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज।

----------प्रार्थी

बनाम

1. मो. शारिब पुत्र मो. उमर, निवासी– कुतुबपट्टी, थाना फूलपुर, प्रयागराज।
2. शिवाकान्त पुत्र स्व. राम आधार
3. राजू भारतीया पुत्र स्व. ननकू

निवासीगण– धोकरी, सिकन्दरा, थाना फूलपुर, प्रयागराज

4. 2 अज्ञात

--------विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना–फूलपुर, जनपद–प्रयागराज।

1. प्रार्थी कमलेश कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है तथा दिनांक 04.11.2023 को उसकी माता फूला देवी ने लालबहादुर से भूमि सं. 93 क रजिस्ट्री कराया था। अग्रेतर यह भी कथन किया है कि वह कभी–कभी उक्त भूमि पर आया करता था किन्तु विपक्षी संख्या 1 ने उसकी भूमि से लगी हुयी भूमि सं. 92 ख को क्रय किया व विपक्षी संख्या 2 व 3 अन्य लोगों से मिलीभगत कर उक्त भूमि पर निर्माण करना चाहते हैं। प्रार्थी जब उक्त भूमि पर देख–रेख हेतु दिनांक 27.03.2026 को समय करीब 10.00 बजे दिन अपने साथियों के साथ गया तो उक्त भूमि पर नवनिर्माण हेतु आवश्यक वस्तु रखा था, उसने विरोध किया तो विपक्षीगण एकराय होकर उसको भद्दी–भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। प्रार्थी ने कारण पूछा तो विपक्षीगण उग्र होते हुए जातिसूचक शब्द पसेटा साले का सम्बोधन कर जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थी का विपक्षी संख्या 2 व 3 के पास उसका पैसा लेन–देन का बाकी है तथा उक्त धनराशि हड़पने की धमकी दिया। विपक्षी संख्या 1 अपने आपको अधिवक्ता बताता है एवं जेल भेजने व जान से मारकर उक्त भूमि हड़पने की धमकी देता है। प्रार्थी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सूचना दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने दिनांक 06.05.2026 को जरिये रजिस्टर्ड डाक थाना प्रभारी फूलपुर, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, मुख्य सचिव लखनऊ, जिलाधिकारी प्रयागराज, अध्यक्ष एस.सी./एस.टी. आयोग दिल्ली को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, प्रयागराज, थाना प्रभारी फूलपुर, मुख्य सचिव लखनऊ व जिलाधिकारी प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 06.05.2026 की छायाप्रति मय डाक रसीद की छायाप्रति को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण द्वारा उसके मां के द्वारा क्रय की गयी भूमि सं. 93 क पर नवनिर्माण की सामग्री रखे जाने का विरोध करने पर

उनके द्वारा एकराय होकर उसको भद्दी–भद्दी गालियां दिये जाने, पसेटा साला जैसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने, उसकी भूमि व उसके द्वारा दिये गये रुपये को हड़पने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रार्थी को घटना का दिनांक, समय, स्थान, साक्षीगण के नाम, घटना हेतुक तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद)* में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को मजिस्ट्रेट परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

(i) एतद्द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 21.10.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– जुलाई 21, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.07.21 16:41:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court